UPEW010032702025

न्यायालय विशेष न्यायाधीश(द०प्र०क्षे०अधिनियम)इटावा ।

परिवाद संख्या–829/2025

हरिओम बनाम बोबी आदि ।

थाना–भरथना ,जिला–इटावा।

दिनांक–29.05.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर परिवादी हरिओम अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से अधिवक्ता भी उपस्थित नहीं आये और न ही परिवादी का हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र अथवा अन्य किसी प्रकार का कोई स्थगन या मौहलत प्रार्थना पत्र ही प्रस्तुत किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी हरिओम द्वारा प्रश्नगत परिवाद अन्तर्गत धारा–309(4),309(6),351, 352 बी०एन०एस०में विपक्षीगण बोबी,सौरभ,गौरव उर्फ शशांक,शिवम व यादवेन्द्र सिंह उर्फ झुन्नर को तलब किये जाने हेतु दिनांक 30.05.2025 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि प्रकरण से सम्बन्धित परिवादी ग्राम सहजपुर,थाना भरथना,जिला इटावा का निवासी है एवं विपक्षीगण नगला भोज,थाना अजीतमल,जिला औरैया के निवासी है। परिवादपत्र में परिवादी द्वारा घटना दिनांकित 19.05.2025 का उल्लेख करते हुये कथन किया गया है कि वह अपने निवास स्थान से इटावा आवश्यक कार्यवश मोटरसाइकिल से अपने भाई विनय यादव के साथ आ रहा था। झिदुआ नदी पुल के पास कार में सवार विपक्षीगण ने उसकी मोटर साइकिल रुकवायी तथा बॉबी ने तमंचा लगा दिया और उसके 15000/– रूपये,एक सोने की जंजीर 15 ग्राम व एक सोने की अंगूठी 3 ग्राम की लूट

Digitally signed by ALOK KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2026.05.30 11:26:57 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

कारित की। परिवादी के विरोध करने पर उसे तमंचों की बट से सिर पर वार किया,जिससे उसके खून निकलने लगा व अन्य विपक्षीगणों ने उसे लात घूसों व थप्पडों से मारापीटा उसके भाई विनय कुमार ने विरोध किया। राहगीर दीपक कुमार तथा कई अन्य लोग आ गये,जिन्होंने घटना देखी व बचाया भीड़ आता देखकर मुल्जिमान गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर कार में सवार होकर भाग गये। घटना में आयी चोटों का डॉक्टरी मुआयना उसने जिला अस्पताल इटावा में कराया। परिवादी की ओर से डाक्टरी मुआयना की प्रति अभिलेख पर दाखिल की गयी है।

पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि परिवादी हरिओम द्वारा प्रस्तुत परिवाद दिनांक 31.05.2025 को योजित किया गया है। परिवादी द्वारा स्वंय को अन्तर्गत धारा–223 बी०एन०एस०एस० परीक्षित नहीं कराया गया है तथा परिवादी लगातार अनुपस्थित चल रहा है। परिवादी को अन्तिम अवसर भी प्रदान किया जा चुका है। अतः ऐसी दशा में परिवादी का साक्ष्य का अवसर समाप्त किया जाता है। विपक्षीगण के विरूद्ध साक्ष्य के अभाव में कार्यवाही किये जाने का कोई युक्तियुक्त व पर्याप्त आधार दर्शित नहीं होता है और साक्ष्य के अभाव में तथा लगातार अनुपस्थिति के कारण परिवादी का यह परिवाद अन्तर्गत धारा–226 बी०एन०एस०एस० निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवाद संख्या–829/2025 हरिओम बनाम बॉबी आदि अन्तर्गत धारा–226 बी०एन०एस०एस०निरस्त किया जाता है।

पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल अभिलेखागार की जाये

(आलोक कुमार श्रीवास्तव)

विशेष न्यायाधीश(द०प्र०क्षे०अधि०)इटावा।

J.O.Code No–1546